

# हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल विज्ञप्ति

शिक्षता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षता अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। प्रशिक्षुओं का विवरण ट्रेडवाइज निम्न प्रकार से है :-

Trade	Requirement	Trade	Requirement
Mechanic Motor Vehicle	28	Electrician	02
Welder	04	Painter	05
Carpenter	03	Turner	02
<b>Total Apprenticeship Requirement = 44</b>			

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट “[apprenticeship.org](http://apprenticeship.org)” पर दिनांक 02.01.2023 से 11.01.2023 तक सायं 17:00 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं., आई.डी., मैट्रिक प्रमाण पत्र, आई.टी.आई. विभाग द्वारा जारी आई.टी.आई. पास मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें तथा आवेदन करने उपरान्त अपलोड किए गए दस्तावेजों की फोटोप्रति कार्यालय महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल में जमा करवाएं। यदि उम्मीदवार अपलोड दस्तावेजों की फोटोप्रति कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। दिनांक 11.01.2023 के पश्चात किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। सफल प्रशिक्षुओं का चयन आई.टी.आई. मार्कशीट के अंकों अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

हस्ता./-

महाप्रबंधक,

हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल।

PRDH/1119/11/272/2023/14772/31/4